न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 4/2020

उनवान

1. कुसुमलता पत्नी अमरचन्द
2. नन्दकिशोर पुत्र अमरचन्द जाति अग्रवाल निवासी गांधी चौक, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1 कमलादेवी पत्नी नाथूलाल
2. दिनेश
3. मनेष पुत्र नाथूलाल जाति जाट नि0 जगपुरा, नसीराबाद
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
4 जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 18.9.20

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जगपुरा प0म0 चाट, नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 417/0.51, 422/0.31, 516/0.89, 517/0.80 व 518 रकबा 0.06 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है उक्त आराजी पर प्रार्थीगण कदीम से काबिज काश्त चले आ रहे है। एवं राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी में दर्ज है। प्रार्थीगण के खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु अपने खेतो पर आवागमन हेतु आर्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 421/0.39 में से आवागमन करते है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता विधमान नही है। खसरा नम्बर 421 में से आवागमन के बाद प्रार्थीगण को आवागमन हेतु खसरा नम्बर 283 में से हो कर गुजरना होता है एवं खसरा नम्बर 283 राजस्व अभिलेख में गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 421 में से 30 फिट चौडा रास्ता चाहता है जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु ग्राम जगपुरा प0म0 चाट तहसील नसीराबाद के अप्रार्थीगण की खातेदारी खेत 421/0.39 में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाने की कृपा करावे। एवं उक्त रास्तें का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करवाये जाने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रांर्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 422 मुख्य रास्ता से लगती हुयी है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 417 से 518 के उत्तर दिशा में मुख्य सडक रास्ता आता है। हाल खसरा नम्बर 414 व 283 भी रास्ते के रूप में है। प्रार्थीगण के खेत 417 में जाने के लिये खसरा नम्बर 414 रास्ता है। अप्रार्थीगण लिखित

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

है उनके पास उक्त जमीन पर खेती बाडी करना ही आय का साधन है अतः प्रार्थना खारिज किया जावे।

तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की। तत्पश्चात अधिवक्ता ...र्थी के निवेदन पर पुनः भू अभिलेख निरीक्षक से खसरा नम्बर 414 की वर्तमान स्थिति के बारे रिपोर्ट तलब की गयी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रकरण विचारण के दौरान प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट पर आपत्ति अन्तर्गत नियम 69 पेश किया जिस पर प्रकरण के न्यायिक निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण कर मौका पर्चा तैयार किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। ग्राम जगपुरा के हाल खसरा नम्बर 421 रकबा 0.39 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी ख0न0 417 में जाने हेतु अप्रार्थी के ख0न0 421 मे से रास्ता चाहा है। जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 417 में जाने के लिये खसरा नम्बर 414 रास्ते के रूप में उपलब्ध है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस फर्द दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 414 के वंर्किंग खसरा नम्बर 193 व चौसाला खसरा नम्बर 232 भी साबिक राजस्व अभिलेख में रास्ता है। यदि मौके पर उक्त रास्ता मोरी के कारण बंद है तो धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त मोरी बन्द कर रास्ता खुलवाने की कार्यवाही प्रार्थी द्वारा की जानी चाहिये किन्तु खसरा नम्बर 414 की मौका स्थिति की रिपोर्ट अनुसार राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 414 रकबा 0.34 मौके पर खसरा नम्बर 378, 379, 380, 381 के लगायत 414 तक मोरी स्थित है। हाजा न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण अनुसार भी उक्त खसरा नम्बर 414 मौके पर मोरी है जो लगभग 6 फिट चौडी है। जिसके दोनो ओर 6–6 फिट की डोल है। जिसमें तालाब का पानी खसरा नम्बर 314 मोरी से खसरा नम्बर 414 में से होता हुआ खसरा नम्बर 519 किस्म मोरी में पानी जाता है। उक्त खसरा नम्बर 414 की मौका स्थिति को परिवर्तन कर मोरी के स्थान पर रास्ता बनाया जाता है तो पानी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित होगा साथ ही उक्त मोरी के आगे स्थित खेतो की आबपाशी भी प्रभावित होगी। खसरा नम्बर 414 के मौके व राजस्व अभिलेख में अलग–अलग स्थिति में सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 283 मौके पर रास्ता है जिससे लगता हुआ अप्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 421 है जिसके अन्दर से प्रार्थी के खेत पर जाने हेतु रास्ता बना हुआ है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस आराजी मुतनाजा का राजस्व अभिलेख पेश किया है जिसके अनुसार अप्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 421 जिसमें से प्रार्थी रास्ता चाह रहा है के वंर्किंग खसरा नम्बर 364 में से 0–3–0 भूमि की किस्म पूर्व में रास्ता के रूप में दर्ज थी। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता उपयोग में लिया जाना बताया है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी मौके पर उपलब्ध नही है। तहसीलदार नसीराबाद व हाजा न्यायालय द्वारा तैयार मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खेतो पर जाने हेतु लघुतम मार्ग ख0न0 421 में से मौके पर बनाया हुआ है, जो वर्तमान में चालू हालत में है। वंर्किंग जमाबंदी में भी उक्त खसरा नम्बर में से 0–3–0 भूमि रास्ता किस्म दर्ज थी। उक्त रास्ते हेतु 60 मीटर लम्बी व 8 मीटर चौडी भूमि की आवश्यकता है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आंत्यंतिक आवश्यकता है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। चाहा गया मार्ग 60 गुणा 8 कुल 480 वर्ग मीटर होता है। चाहे गये मार्ग की डी0एल0सी0 दर से राशि 20560/ होती है।

धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के तथ्यों की ताईद होती है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक, दीर्घ, लघु मार्ग उपलब्ध होना भी सिद्व नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम जगपुरा के हाल ... नम्बर 421 में से 60 मीटर गुणा 8 मीटर कुल 480 वर्ग मीटर आराजी सिवायचक रास्ता ... करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त भूमि की डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि ...1120/ अक्षरे इकतालीस हजार एक सौ बीस रूपये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को उनके हिस्सेनुसार भुगतान करने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested